न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 21/2019

1. पवन कुमार शर्मा आयु 36 साल आ0 जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. जानकीलाल आयु 65 साल आ0 केशरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि

अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री रामभरोस मीणा, एडवोकेट।

—: निर्णय :— दिनांक —16.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 23.01.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
1. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खाता संख्या नई 80 पुरानी 76 के ख.सं. 123 रकबा 4.25 है0, ख.सं. 124 रकबा 2.37 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.62 है0 वाके ग्राम व माल बलकासा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है। जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी सं. 1 है। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है। इस कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को कानूनी अधिकार प्राप्त है। मूल पुरूष केशरीलाल है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। केसरीलाल का पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

जानकीलाल जो प्रतिवादी संख्या 1 है। जिसका पुत्र पवन कुमार शर्मा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2–1/2 हिस्सा निहीत है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक बंटवारा आज से लगभग 12–13 वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य हो चुका है एवं उसी विभाज़न के अनुरूप वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि को रहन व बैचान करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार पृथक से बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित कर नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान करे।

2. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 11.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 80 के खसरा सं. 123 रकबा 4.25 है0 में से 0.94 है0 पूर्व दिशा की, ख.सं. 124 रकबा 2.37 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 6.62 है0 में से 3.31 है0 वाके ग्राम व माल बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी पवन कुमार शर्मा आ0 जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 80 के खसरा सं. 123 रकबा 4.25 है0 में से 3.31 है0 पश्चिम दिशा की वाके ग्राम व माल बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 जानकीलाल आ0 केशरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

पवन कुमार V/S जानकीलाल वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 21/2019

वादी की ओर से श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री रामभरोस मीणा की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 16.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 80 के खसरा सं. 123 रकबा 4.25 है0 में से 0.94 है0 पूर्व दिशा की, ख.सं. 124 रकबा 2.37 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 6.62 है0 में से 3.31 है0 वाके ग्राम व माल बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी पवन कुमार शर्मा आ0 जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 80 के खसरा सं. 123 रकबा 4.25 है0 में से 3.31 है0 पश्चिम दिशा की वाके ग्राम व माल बलकासा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 जानकीलाल आ0 केशरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बलकासा तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग.................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग.............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner